

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART II SECTION 3 SUB-SECTION (11) DATED 23rd FEBRUARY, 1995

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

...

New Delhi, the 23rd February, 1995

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by clause (23BBB) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the European Community International Institutional Partners (ECIIP) Scheme, 1993 as a scheme for the purposes of the said clause.



(ANIRUDDHA KUMAR)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

F.No. 153/73/91-TPL(Pt.)

No. 60-741

भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड 1111, तारीख

23 फरवरी, 1995 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

नई दिल्ली, तारीख 23 फरवरी, 95

अधिसूचना

आय- कर

का० आ०

[अ. 1: केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड 123खखख द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, यूरोपियन कम्युनिटी इन्टर-नेशनल इंस्टिट्यूशनल

पार्टनर स्कीम, 1993 [यूरोपीय समुदाय अन्तरराष्ट्रीय संस्थागत भागीदार
(यू.स.अ.सं.आ.) स्कीम]

स्कीम, 1993 को उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए एक स्कीम के रूप में

बिनिर्दिष्ट करती है ।



। अनिल कुमार ।

अवर सचिव, भारत सरकार

का० सं० 153/73/91-टी० पी० एल० (११)

१७११